भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 691**

(जिसका उत्तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को आंकड़े सहभाजित करने के निर्देश

691**. श्री राजीव चन्‍द्रशेखर:**

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की चार बीमा कंपनियों को प्रमुख खातों के संबंध में आंकड़े सहभाजित करने और यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि उनके बीच किसी कोरपोरेट अथवा समूह खातों को लेकर कोई प्रतिस्‍पर्धा न हो;

(ख) यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं; और

(ग) क्‍या यह उत्‍पादक संघ के समान होगा जो कि मुक्‍त प्रतिस्‍पर्धा के विपरीत है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

**(क) से (ग):-** सरकरी क्षेत्र की सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियां एक समयावधि में हामीदारी हानियों का वहन कर रहीं हैं। अत: उनकी वित्तीय स्थिति का सुधार करने के लिए हानियों को अंतर्विष्‍ट करना आवश्‍यक समझा गया है ताकि वे अपने लक्ष्‍यानुसार जनता और अर्थव्‍यवस्‍था के सर्वश्रेष्‍ठ हितों को पूरा करना जारी रख सकें। विवेकसम्‍मत हामीदारी तथा कुशल दावा प्रबंधन के जरिए इस उद्देश्‍य को प्राप्‍त करने के लिए उनको परामर्शी निर्देश जारी किए गए हैं।

\*\*\*\*\*